संख्या-919/2026/2550/22-2-2025-17(1179)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 08 जुलाई, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी देहाती उर्फ शानबाबू पुत्र श्री असगर, निवासी जनपद-मीरजापुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-47796/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-19.12.2025) दिनांक-30.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी देहाती उर्फ शानबाबू पुत्र श्री असगर, ग्राम-पुरी कटरा, थाना-को0 कटरा, जनपद-मीरजापुर का निवासी है। प्रथम केस में पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक-08.04.2006 को बन्दी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू से मारकर दिनेश उर्फ बबलू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। द्वितीय केस में पूर्व में हुयी हत्या के मुकदमें को लेकर दिनांक-30.08.2008 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चा से गोली मारकर चन्दन शर्मा नामक व्यक्ति की हत्या कर दी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) सत्र परीक्षण संख्या-169/2007 में भा0द0वि0 की धारा-147,148,323/149,302/149 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (एस०सी०एस०टी०) मिर्जापुर के आदेश दिनांक-30.11.2011 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय ने बंदी की अपील को दिनांक-05.03.2020 द्वारा को निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा। (2) सत्र परीक्षण संख्या- 39/2009 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 120बी के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-02, भदोही (ज्ञानपुर) के आदेश दिनांक 29.10.2018 द्वारा द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।, बंदी द्वारा प्रथम केस में दिनांक 26.08.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 04 माह, 13 दिन व सपरिहार 16 वर्ष, 11 माह, 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। द्वतीय केस में दिनांक-26.08.2025 तक अपरिहार 13 वर्ष, 10 माह, 02 दिन व सपरिहार 15 वर्ष, 03 माह, 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक-06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरुप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि0एल0 जे0 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बंदी द्वारा किया गया हत्या जैसा अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, भविष्य में पुनः अपराध करने की प्रबल सम्भावना होने के कारण प्रतिशोध कि भावना होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरुद्ध रखे जाने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार कि सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु आख्या दिनांक-03.12.2025 को समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में प्रथम केस में पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 08.04.2006 को बन्दी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू से मारकर दिनेश उर्फ बबलू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। द्वतीय केस में पूर्व में हुयी हत्या के मुकदमें को लेकर दिनांक 30.08.2008 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चा से गोली मारकर चन्दन शर्मा नामक व्यक्ति की हत्या करने का अपराध कारित किया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से संबंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। बन्दी के अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेसन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी देहाती उर्फ शानबाबू पुत्र असगर को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी देहाती उर्फ शानबाबू (बन्दी संख्या-410/2022) पुत्र श्री असगर, निवासी जनपद-मीरजापुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक: यथोपरि।</u>

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-919/2026/2550/(1)/22-2-2025 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार वाराणसी।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-919/2026/2550/22-2-2025-17(1179)/2025

दिनांक 08 जुलाई, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी देहाती उर्फ शानबाबू पुत्र श्री असगर, ग्राम-पुरी कटरा, थाना-को0 कटरा, जनपद-मीरजापुर का निवासी है। प्रथम केस में पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक-08.04.2006 को बन्दी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू से मारकर दिनेश उर्फ बबलू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। द्वितीय केस में पूर्व में हुयी हत्या के मुकदमें को लेकर दिनांक-30.08.2008 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चा से गोली मारकर चन्दन शर्मा नामक व्यक्ति की हत्या कर दी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) सत्र परीक्षण संख्या-169/2007 में भा0द0वि0 की धारा-147,148,323/149,302/149 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (एस०सी०एस०टी०) मिर्जापुर के आदेश दिनांक-30.11.2011 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय ने बंदी की अपील को दिनांक-05.03.2020 द्वारा को निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा। (2) सत्र परीक्षण संख्या- 39/2009 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 120बी के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-02, भदोही (ज्ञानपुर) के आदेश दिनांक 29.10.2018 द्वारा द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।, बंदी द्वारा प्रथम केस में दिनांक 26.08.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 04 माह, 13 दिन व सपरिहार 16 वर्ष, 11 माह, 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। द्वतीय केस में दिनांक-26.08.2025 तक अपरिहार 13 वर्ष, 10 माह, 02 दिन व सपरिहार 15 वर्ष, 03 माह, 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक-06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरुप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि0एल0 जे0 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बंदी द्वारा किया गया हत्या जैसा अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, भविष्य में पुनः अपराध करने की प्रबल सम्भावना होने के कारण प्रतिशोध कि भावना होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरुद्ध रखे जाने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार कि सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु आख्या दिनांक-03.12.2025 को समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।